# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

**राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 68 / 2018 / बाड़मेर**

**अपीलांट** **रेस्पोडेंटगण**

1. जेताराम पुत्र जवाराम
2. सारोंदेवी पत्नी जगमालाराम
   जाति जाट निवासी बायतु
   तहसील बायतु जिला बाड़मेर

**बनाम** 1.सुभानखां पुत्र उमर अली
2.ईशानखां पुत्र उमर अली जाति
मुसलमान निवासी गिरली कीतपाल
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
3.श्रीमान तहसीलदार सिणधरी

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 08 / 2013 बअनवान सुभानखां वगै. बनाम जेताराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 26.05. 2016 के विरूद्ध पेश हुई ।**

**उपस्थित**

1. वकील श्री अर्जुनराम बोसिया अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेण्ट की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः— 21.10.2021**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 162 / 87 रकबा 46 बीघा व खसरा संख्या 87 रकबा 46 बीघा मौजा गिरली कीतपाल पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। जिनके मध्य विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 161 / 87 प्रार्थीगण के खेतों के मध्य पड़ता है, जिनके मध्य विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 967, 1130 / 967 प्रार्थीगण के खेत व सड़क के मध्य पड़ते है। प्रार्थीगण को अपने खेत से सड़क मार्ग तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। परन्तु वर्षा ऋतु होने पर विप्रार्थी उक्त रास्ते को बंद कर देते, जिससे प्रार्थीगण को रास्ते के उपयोग में रूकावट पैदा करते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नया रास्ता स्वीकृत कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। अपीलांट द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पर आपति पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जबाव पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांटगण की अनुपस्थिति में कैम्प कोर्ट में पारित किया गया। कैम्प कोर्ट में उपस्थित रहने बाबत किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलकर्ता की आराजी का बिना समुचित वस्तुस्थिति का पता किये पारित किया है, उतरदातागण को अपनी जोत में आने जाने हेतु रास्ते का निकटतम विकल्प मौजूद है जिसको उतरदाता अपनी जोत में आने जाने हेतु उपयोग में लेता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित होने के करीब ढाई वर्ष तक उतरदाता संख्या 01 व 02 भी चुपचाप बैठे रहे परन्तु अब उतरदाता संख्या 01 व 02 द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना में मुआवजा राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई तो संबंधित आर आई ने राशि जमा होने व उठाने के लिये अपीलांट को सूचना दी, जिस पर अपीलांट को अपने हक हकुकों के प्रति संशय पैदा हुआ तो अपीलांटगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अधिवक्ता ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिस पर अपीलांट ने दूसरा अधिवक्ता नियुक्त कर आलोच्य आदेश की नकले दिनांक 22.11.2018 को प्राप्त की तो अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर गियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर गियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 गियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से कैम्प कोर्ट डंण्डाली में पारित किया गया पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उसे पटवारी हल्का डंण्डाली द्वारा तैयार की गई जो विधि की मंशानुसार मौका निरीक्षण के लिए अधिकृत नहीं है। मौका फर्द में यह कहीं भी नहीं आया है कि खसरा संख्या 161/87 मौजा गिरलीकीतपाल में से प्रदत्त रास्ता गैर मुमकिन रास्ते से कैसे जुड़ रहा है। खसरा संख्या 161/87 में से प्रस्तावित रास्ता देने के बावजूद भी रेस्पोडेंट को रास्ता प्राप्त नहीं होता है। अपीलाधीन आदेश से रास्ते अविच्छिन्नता (Continuity) कायम नहीं होती है। अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता हो, द्वितीय वैकल्पिक रास्ता न हो। उक्त दोनों बिंदुओं को सिद्ध नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बाद परीक्षण विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

होती है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 08/2013 बअनवान सुभानखां वगै. बनाम जेताराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 26.05.2016 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानों की प्रक्रियागत कार्यवाही को पूर्ण करते हुए, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर, रास्ते के समस्त विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन कर निकटत विकल्प का रास्ता दिये जाने की कार्यवाही कर गुणावगुणव पर आदेश पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.12.2021 को पेश हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर
राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर
राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर